म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/नवीन मण्डी/वि./46/1/मापदण्ड/पार्ट–2/570 भोपाल, दिनांक 29/05./2018

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति ....,
जिला ....(म0प्र0)

विषयः– कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी की स्थापना हेतु निर्धारित प्रश्नावली में प्रस्ताव भेजने बावत।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि कृषि उपज मंडी/उपमण्डी के स्थापना हेतु प्रश्नावली निर्धारित की गई थी, उसे संशोधित किया गया है। संशोधित प्रश्नावली की छाया प्रति संलग्न है। राजस्व विभाग ने परिपत्र दिनांक 12.11.2014 द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त संबंध में चेक लिस्ट की छाया प्रति संलग्न है।

अतः मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण की स्थापना हेतु निर्धारित प्रश्नावली में आंचलिक कार्यालय की अनुशंसा से संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नवीन मण्डी/ वि./46/1/मापदण्ड/पार्ट–2/ 571 भोपाल, दिनांक 29-5-18

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कलेक्टर जिला ...."समस्त" (म0प्र0) की ओर उपरोक्तानुसार प्रकरणों के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... "समस्त" (म.प्र.)।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु प्रश्नावली

1. स्थान का नाम जहा मंडी प्रागंण स्थापित करना प्रस्तावित है।

अ. स्थान का नाम ....

ब. तहसील ....

स. जिला ....

2. मंडी समिति की मुख्यालय से दूरी ....

3. अवागमन के साधन ....

4. उक्त स्थान मे कय–विकय करने वाले व्यापारियो की संख्या

(अ) थोक व्यापारी ....

(ब) सहकारी विपणन समितियो की संख्या ....

(स) प्रसंस्करण संस्थाओं की संख्या

(एक) दाल मिल ....

(दो) आईल मिल ....

(तीन) राईस मिल ....

(चार) जिनिंग फेक्ट्री ....

5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कृषि उपज कय की जानकारी निर्धारित प्रपत्र 'अ' में ....

6. प्रस्तावित मंडी/उपमंडी क्षेत्र में कृषि उत्पादन /आवक की जानकारी निर्धारित प्रपत्र 'ब' में ....

7. उक्त स्थान की जनसंख्या ....

8. क्या उक्त स्थान मे ग्राम पंचायत/नगर पालिका है। ....

9. उक्त स्थान मे कौन–कौन से शासकीय कार्यालय है। ....

10. क्या स्थान मे राष्ट्रीकृत/सहकारी बैंक है।

यदि हां तो उसके नाम लिखे। ....

11. बाजार सप्ताह मे कितने दिन और **कौन–कौन** से दिन लगता है। ....

12. क्या बाजार के दिन के अतिरिक्त **और अन्य**

दिनो मे भी कृषि उपज बिकने आती है ....

13. अच्छे सीजन मे प्रतिदिन कुल **कितनी आवक होती है** (क्विंटल) ....

14. प्रतिवर्ष लगभग कुल कितनी आवक **होती है**(क्विंटल)

आवक जिसंवार लिखे (5 वर्षो की) ....

15. प्रस्तावित / मंडी से प्रतिवर्ष लगभग कुल कितनी

मंडी शुल्क वसूल होने का अनुमान है। ....

(आधार सहित विवरण दें) ....

16. मुख्य मंडी प्रागंण / उपमंडी प्रागंण के लिये

प्रस्तावित भूमि रकवा / एकड / हेक्टर है। ....

17. प्रस्तावित भूमि क्या शासकीय है। ....

18. यदि नही तो क्या निजी भूमि है। ....

19. यदि निजी भूमि है तो क्या वह क्रय कर ली गई है

तथा उस पर अधिपत्य प्राप्त हो चुका है। ....

20. प्रस्तावित भूमि का ट्रेस किया हुआ नक्शा तथा

पंचसाला खसरा नकल (दो–दो) प्रतियो मे संलग्न है। ....

21. मूल मंडी हेतु प्रागंण से 5 कि.मी की परिधि मे ....

किन्तु मंडी क्षेत्र मे आने वाले ग्रामों की एक ....

वृत मे दिखलाते हुए तहसील की मजमुली नक्शा संलग्न करे। ....

नवीन मंडी के लिये क्षेत्र का कृषि क्षेत्रफल तथा प्रमुख ....

कृषि उत्पाद की जानकारी संलग्न करें ।

21. वर्तमान मे यहां उपमंडी प्रागंण न होने से कृषक

एवं व्यापरियो को कौन–कौन सी असुविधायें होती है। ....

22. वहां पर मंडी प्रागंण घोषित करने से कृषको को ....

क्या लाभ होगा यह संक्षिप्त मे बतलावे।

म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत ....

मंडी प्रागंण एवं उनके मूल मंडी क्षेत्र संबंधी प्रश्नावली ।

स्थान का नाम ....तहसील .... जिला...... .... (म0प्र)

1. भू–भाटक के स्वामी का नाम ....

2. स्थान का नाम जहां का भू–भाग प्रस्तावित है। ....

कमांक	खसरा कमांक	क्षेत्रफल (एकड) में
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
योग–		

भूमि का मानचित्र एवं नकल खसरा दो–दो प्रतियों में संलग्न करें।

::सीमाये::

उत्तर में :–

दक्षिण में:–

पूर्व में:–

पश्चिम में :–

मूल मण्डी क्षेत्र:–

प्रस्तावित स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले मण्डी क्षेत्र के ग्रामों की सूची:–

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
..........................जिला....................

प्रपत्र 'अ'

कृषि उपज मंडी समिति के अनुज्ञप्तिधारी (व्यापारी) **द्वारा कृषि उपज** क्रय का प्रपत्र।

—00—

क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	पता	अनुज्ञप्ति क्रमांक / दिनांक	कृषि उपज क्रय (वार्षिक)		
				15—16	16—17	17—18
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति............

प्रपत्र 'ब'

प्रस्तावित कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी की स्थापना हेतु मंडी क्षेत्र/उपमंडी क्षेत्र में कृषि उपज के उत्पादन एवं आवक की जानकारी।

—00—

क.	कृषि उपज का नाम	कृषि उपज का उत्पादन/आवक					
		उत्पादन			आवक		
		15—16	16—17	17—18	15—16	16—17	17—18
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति............

कृषि उपज मंडी समिति, के प्रांगण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में।

---00---

राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 12.11.2014 के संबंध में आपसी सहमति से भूमि कय के संबंध में चेकलिस्ट निम्नानुसार है:-

1. राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकमों की अधोसंरचना विकास परियोजना के लिये भूमि की आवश्यकता होने पर सर्वप्रथम कलेक्टर उपलब्ध शासकीय भूमि मे से उपयुक्त भूमि प्रशासकीय विभाग को नियमानुसार हस्तांतरण करेगा।

2. यदि शासकीय भूमि उपलब्ध नही है तो, जिला कलेक्टर/संबंधित राजस्व अधिकारी से शासकीय भूमि की अनुलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा। प्रशासकीय विभागीय/उपकम के आवेदन पर इस नीति के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये निजी भू-धारकों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि कय की जा सकेगी।

3. इस संबंध में प्रशासकीय विभाग से निजी भूमि आपसी सहमति से कय करने की स्वीकृति प्राप्त करना होगा।

4. विभाग/उपकम की परियोजना के लिये कय की जाने वाली भूमि, उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य और पुर्नवास अनुदान पर देय राशि की वहन संबंधित शासकीय विभाग/उपकम द्वारा किया जायेगा। इसके लिये आवश्यक बजट का प्रावधान संबंधित विभाग/उपकम द्वारा किया जायेगा।

5. विभाग/उपकम सर्वप्रथम अधोसंरचना अथवा परियोजना के लिये कय की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकंलन कर निजी भू-धारक की कय की जाने वाली भूमि चिन्हांकित करेगा और आवश्यकतानुसार भूमि कय करने हेतु विभाग/उपकम का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

6. भूमि कय हेतु आवेदन पत्र मे निम्न विवरण दिये जायेगे :-

(1) परियोजना का नाम तथा उददेश्य

(2) शासकीय भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाणिकरण

(3) कय की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल

(4) परियोजना के लिये आवश्यक बजट शीर्ष मे भूमि कय करने के लिये धनराशि की उपलब्धता का ब्यौरा।

(5) भूमि का विवरण (खसरा कमांक/भू-खंड कमांक/नजूल शीट कमांक, क्षेत्रफल, ग्राम, तहसील, जिला और नक्शा)

(6) भूमि के ज्ञात/अभिलेखित धारक/धारको के विवरण जो उपलब्ध हो सके।

(7) तत्समय प्रभावशील गाइड लाइन की दरों के संदर्भ मे भूमि का अनुमानित मूल्य।

(8) भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों का विवरण और अनुमानित मूल्य

(9) अन्य विवरण जो विभाग/उपकम देना चाहे।